रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07082025-265286
CG-DL-E-07082025-265286

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 494] नई दिल्ली, बृहस्पितवार, अगस्त 7, 2025/श्रावण 16, 1947
No. 494] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 7, 2025/SHRAVANA 16, 1947

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 537(अ).— केंद्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, गृह मंत्रालय में दूरसंचार काडर में सूबेदार मेजर (दूरसंचार) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, दूरसंचार काडर, सूबेदार मेजर (दूरसंचार), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स का स्तर.— उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उपाबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है!

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. चिकित्सीय दृष्ट्या योग्यता.— इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो अर्धसैनिक बलों में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में यथाविनिर्दिष्ट चिकित्सीय प्रवर्ग शेप-। में है, इन नियमों के उपबंधों के अधीन प्रोन्नति और नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

6. अधिवार्षिता.— (1) इन नियमों के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने के मास के अंतिम दिन को अपराह्न में सेवा से निवृत्त होगा;

परंतु ऐसा कोई अधिकारी जिसके जन्म की तारीख मास की पहली तारीख है, वह अधिवार्षिता की आयु प्राप्त होने के मास के पूर्ववर्ती माह की आखिरी तारीख को अपराह्न में सेवा से निवृत्त होगा ।

(2) किसी व्यक्ति को उपनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा में अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्ति की विहित आयु से ज्यादा सेवा का विस्तार प्रदान नहीं की जाएगी।

7. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूबेदार मेजर (दूरसंचार)	1* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600–151100 रु.) ।	चयन।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं।	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता प्रोन्नति वाले मामले में लागू होगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति द्वारा: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के ऐसे निरीक्षक (दूरसंचार) में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रुपए) के स्तर 7, में उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा किया है और समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित पूर्व प्रोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) 1. महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष; 2. उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य; 3. कमांडेंट या सेकेण्ड इन कमांड, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य; 4. उप कमांडेंट (दूरसंचार) या सहायक कमांडेंट (दूरसंचार), भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. I.12022/15/2021-संगठन]

पी. एस. डंगवाल, निदेशक

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2025

G.S.R. 537(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), and the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Subedar Major (Telecommunication), in Telecommunication Cadre in the Indo-Tibetan Border Police Force, Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Telecommunication Cadre, Subedar Major (Telecommunication), Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Medical fitness. - Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-1, as specified in Health Care System in Para Military Forces, shall be eligible for promotion and appointment under the provisions of these rules.

6. Superannuation. - (1) Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he or she attains the age of sixty years or as per prescribed by the Central Government from time to time:

Provided that a person whose date of birth is on the first day of a month, shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the prescribed age of retirement on superannuation as specified in sub-rule (1).

7. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving. -Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Subedar Major (Telecommunication).	1*(2025) *Subject to variation dependent workload.	Central General Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100).	Selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
Promotion: From amongst Inspector (Telecommunication) of the Indo-Tibetan Border Police Force in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) with two years regular service in the grade and having successfully completed training in the following relevant area, as prescribed pre-promotional course or courses by the Central Government from time to time. **Note**.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman; 2. Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member; 3. Commandant or Second in Command, Indo-Tibetan Border Police Force - Member; 4. Deputy Commandant (Telecommunication) or Assistant Commandant (Telecommunication), Indo-Tibetan Border Police Force - Member.	Not applicable.

[F. No. I-12022/15/2021-Org]

P. S. DANGWAL, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 538(अ).— केंद्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, दूरसंचार काडर (समूह 'ख' और समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, दूरसंचार काडर (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2025 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, दूरसंचार काडर (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 में,--

(क) नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स का स्तर.— उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उपाबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।";

(ब) नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"7. अधिवार्षिता.— (1) इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने के मास के अंतिम दिन को अपराह्न में सेवा से निवृत्त होगा ;

परंतु ऐसा कोई अधिकारी जिसके जन्म की तारीख मास की पहली तारीख है, वह अधिवार्षिता की आयु प्राप्त होने के मास के पूर्ववर्ती माह की आखिरी तारीख को अपराह्न में सेवा से निवृत्त होगा ।

(2) किसी व्यक्ति को उपनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा में अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्ति की विहित आयु से ज्यादा सेवा का विस्तार प्रदान नहीं की जाएगी।"।

3. अनुसूची में,—

(क) निरीक्षक (दूरसंचार) के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने,--

(i) स्तंभ (2) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"335* (2025)

* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।";

(ii) स्तंभ (4) में, स्तंभ, शीर्षक और संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : --

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।
(4)
वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रुपए) में स्तर -7 ।";

(iii) स्तंभ (11) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"प्रोन्नति द्वारा ।";

(iv) स्तंभ (12) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) में स्तर 6 में, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे उप निरीक्षक (दूरसंचार) में से, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित पूर्व प्रोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो ।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।";

(ख) उप निरीक्षक (दूरसंचार) के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने,--

(i) स्तंभ (2) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"818* (2025)

* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।";

(ii) स्तंभ (4) में, स्तंभ, शीर्षक और संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।
(4)
वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) में स्तर 6 ।";

(iii) स्तंभ (8) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : --

"शैक्षिक अर्हता :

(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सूचना प्रौद्योगिकी या इलैक्ट्रानिक और दूरसंचार या इंस्ट्रूमेंटेशन या कंप्यूटर विज्ञान में बी.ई. या बी. टेक;

(ख) शारीरिक और चिकित्सीय मानक :

(i) शारीरिक मानक :

(अ) अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई-

(I) ऊंचाई :

पुरुषों के लिए : 162.5 सेंटीमीटर; और महिलाओं के लिए : 150 सेंटीमीटर

(II) छाती :

पुरुषों के लिए : बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर; फुला कर : न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फैलाव; और महिलाओं के लिए: लागू नहीं होता ।

(III) वजन :

पुरुषों और महिलाओं के लिए: चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊंचाई और आयु के आनुपातिक ।

टिप्पण : निम्नलिखित अभ्यर्थियों की ऊंचाई और छाती निम्नानुसार शिथिलता प्रदान की जाएगी ।

ऊंचाई: डोगरा, गोरखा, गढ़वाली, कुमाउनी, मराठा अभ्यर्थियों और असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा तथा लद्दाख, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई पुरुषों के लिए: 165 सेंटीमीटर; और महिलाओं के लिए: 155 सेंटीमीटर होगी ।

छाती: डोगरा, गोरखा, गढ़वाली, कुमाउनी, मराठा अभ्यर्थियों और असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा तथा लद्दाख, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र से संबंधित पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम छाती 80 सेंटीमीटर (न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फैलाव) होगी ।

(आ) अन्य राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए-

(I) ऊंचाई:

पुरुषों के लिए: 170 सेंटीमीटर; और महिलाओं के लिए: 157 सेंटीमीटर

(II) छाती :

पुरुषों के लिए: बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर; फुला कर : न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फैलाव; और महिलाओं के लिए लागू नहीं होता।

(III) वजन :

पुरुषों और महिलाओं के लिए: चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊंचाई और आयु के आनुपातिक ।

(ii) चिकित्सीय मानक :

(क) दृष्टि : दोनों आंखों की दृष्टि बिना सुधार अर्थात् बिना चश्मा पहने 6/6 और 6/9 होगी।

(ख) अभ्यर्थियों को संहत जानु, चपटा पांव, फूली हुई नसें या भैंगी आंखों वाला नहीं होना चाहिए और उच्च रंग दृश्यता वाला होना चाहिए। उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का और ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए, जिसमें उनके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा आने की संभावना हो ।

(ग) शारीरिक दक्षता परीक्षण और लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी अर्हित होगा ।

टिप्पण 1.— अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, लिखत रूप में कारणों को दर्ज करके, शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2.— अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, लिखत रूप में कारणों को दर्ज करके, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।";

(iv) स्तंभ (11) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"(i) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; और

(ii) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।";

(v) स्तंभ (12) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"वेतन मैट्रिक्स (29200-923000 रुपए) में स्तर 5 में, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे सहायक उप निरीक्षक (दूरसंचार) में से, जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा यथाविहित पूर्व प्रोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो ।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।";

(vi) स्तंभ (13) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:-

1. उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल- अध्यक्ष;

2. कमांडेंट या सेकेण्ड इन कमांड, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य;

3. उप कमांडेंट (दूरसंचार) या सहायक कमांडेंट (दूरसंचार) भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल- सदस्य।

समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:-

1. उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल- अध्यक्ष;

2. कमांडेंट या सेकेण्ड इन कमांड, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य;

3. उप कमांडेंट (दूरसंचार) या सहायक कमांडेंट (दूरसंचार) भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल- सदस्य।";

(ग) सहायक उप निरीक्षक (दूरसंचार) के पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने,-

(i) स्तंभ (2) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"1153* (2025)

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।";

(ii) स्तंभ (4) में, स्तंभ, शीर्षक और संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स (29200-92300 रुपए) में स्तर 5 ।";

(iii) स्तंभ (5) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"अचयन ।";

(iv) स्तंभ (12) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) में स्तर 4 में, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे हैड कांस्टेबल (दूरसंचार) में से, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा यथाविहित पूर्व प्रोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो ।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। ।";

(घ) हैड कांस्टेबल (दूरसंचार) के पद से संबंधित क्रम संख्या 4 के सामने,--

(i) स्तंभ (2) में , प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“2438* (2025)

* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।";

(ii) स्तंभ (4) में. स्तंभ, शीर्षक और संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) में स्तर 4 ।";

(iii) स्तंभ (5) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"अचयन" ;

(iv) स्तंभ (8) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"शैक्षिक अर्हता :

(क) (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा पास ;

(ii) किसी मान्यताप्राप्त अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से सूचना प्रोद्योगिकी या इलैक्ट्रानिक्स या दूरसंचार या इन्स्ट्रूमेंटेशन या कंप्यूटर विज्ञान में तीन वर्षीय डिप्लोमा; अथवा

(iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था से बैचलर आफ कंप्यूटर एप्लीकेशन; अथवा

(iv) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सूचना प्रौद्योगिकी या इलैक्ट्रानिक और दूरसंचार या इंस्ट्रूमेंटेशन या कंप्यूटर विज्ञान में बी.ई. या बी. टेक ;

(ख) शारीरिक और चिकित्सीय मानक :

(i) शारीरिक मानक :

(अ) अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई-

(I) ऊंचाई :

पुरुषों के लिए : 162.5 सेंटीमीटर; और महिलाओं के लिए : 150 सेंटीमीटर

(II) छाती :

पुरुषों के लिए : बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर; फुला कर : न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फैलाव; और महिलाओं के लिए: लागू नहीं होता ।

(III) वजन :

पुरुषों और महिलाओं के लिए: चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊंचाई और आयु के आनुपातिक।

टिप्पण : निम्नलिखित अभ्यर्थियों की ऊंचाई और छाती निम्नानुसार शिथिलता प्रदान की जाएगी।

ऊंचाई: डोगरा, गोरखा, गढ़वाली, कुमाउनी, मराठा अभ्यर्थियों और असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा तथा लद्दाख, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई पुरुषों के लिए: 165 सेंटीमीटर; और महिलाओं के लिए: 155 सेंटीमीटर होगी ।

छाती: डोगरा, गोरखा, गढ़वाली, कुमाउनी, मराठा अभ्यर्थियों और असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा तथा लद्दाख, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र से संबंधित पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम छाती 80 सेंटीमीटर (न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फैलाव) होगी ।

(आ) अन्य राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए-

(I) ऊंचाई:

पुरुषों के लिए: 170 सेंटीमीटर; और महिलाओं के लिए: 157 सेंटीमीटर

(II) छाती :

पुरुषों के लिए: बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर; फुला कर : न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फैलाव; और महिलाओं के लिए लागू नहीं होता।

(III) वजन :

पुरुषों और महिलाओं के लिए: चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊंचाई और आयु के आनुपातिक ।

(ii) चिकित्सीय मानक :

(क) दृष्टि : दोनों आंखों की दृष्टि बिना सुधार अर्थात् बिना चश्मा पहने 6/6 और 6/9 होगी ।

(ख) अभ्यर्थियों को संहत जानु, चपटा पांव, फूली हुई नसें या भैंगी आंखों वाला नहीं होना चाहिए और उच्च रंग दृश्यता वाला होना चाहिए। उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का और ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए, जिसमें उनके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा आने की संभावना हो ।

(ग) शारीरिक दक्षता परीक्षण और लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी अर्हित होगा ।

(घ) वृत्तिक अर्हता: अभ्यर्थी एक वर्ष की परिवीक्षा की अवधि के विस्तार के अधीन परिवीक्षा के दौरान निम्नलिखित वृतिक पाठ्यक्रम में अर्हित होंगे-

(i) नॉन-जनरल ड्यूटी कार्मिक के लिए बुनियादी प्रशिक्षण ;

(ii) रेडियो आपरेटर श्रेणी-III

टिप्पण 1.— अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, लिखित रूप में कारणों को दर्ज करके, शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2.— अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, लिखित रूप में कारणों को दर्ज करके, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।";

(v) स्तंभ (12) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"वेतन मैट्रिक्स (21700-69100 रुपए) में स्तर 3 में, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे कांस्टेबल (दूरसंचार) में से, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा यथाविहित पूर्व प्रोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित

जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।।";

(vi) स्तंभ (13) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

''समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:-

1. कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल –अध्यक्ष;

2. सेकेण्ड इन कमांड या उप कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल- सदस्य;

3. सहायक कमांडेंट (दूरसंचार), भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल- सदस्य।

समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:-

1. कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल –अध्यक्ष;

2. सेकेण्ड इन कमांड या उप कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल- सदस्य;

3. सहायक कमांडेंट (दूरसंचार), भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल- सदस्य।";

(ङ) कांस्टेबल (दूरसंचार) के पद से संबंधित क्रम संख्या 7 के सामने, --

(i) स्तंभ (1) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"5. कांस्टेबल (दूरसंचार)";

(ii) स्तंभ (2) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"440* (2025)

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।";

(iii) स्तंभ (4) में, स्तंभ, शीर्षक और संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स (21700-69100 रुपए) में स्तर 3 I";

(iv) स्तंभ (8) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"शैक्षिक अर्हता :

(क) (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा पास ;

(ii) किसी मान्यताप्राप्त अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से सूचना प्रोद्योगिकी या इलैक्ट्रानिक्स या दूरसंचार या इन्स्ट्रूमेंटेशन या कंप्यूटर विज्ञान में तीन वर्षीय डिप्लोमा; अथवा

(iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था से बैचलर आफ कंप्यूटर एप्लीकेशन; अथवा

(iv) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सूचना प्रौद्योगिकी या इलैक्ट्रानिक और दूरसंचार या इंस्ट्रूमेंटेशन या कंप्यूटर विज्ञान में बी.ई. या बी. टेक ;

(ख) शारीरिक और चिकित्सीय मानक :

(i) शारीरिक मानक :

(अ) अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई-

(I) ऊंचाई :

पुरुषों के लिए : 162.5 सेंटीमीटर; और महिलाओं के लिए : 150 सेंटीमीटर

(II) छाती :

पुरुषों के लिए : बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर; फुला कर : न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फैलाव; और महिलाओं के लिए: लागू नहीं होता ।

(III) वजन :

पुरुषों और महिलाओं के लिए: चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊंचाई और आयु के आनुपातिक।

टिप्पण : निम्नलिखित अभ्यर्थियों की ऊंचाई और छाती निम्नानुसार शिथिलता प्रदान की जाएगी।

ऊंचाई: डोगरा, गोरखा, गढ़वाली, कुमाउनी, मराठा अभ्यर्थियों और असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा तथा लद्दाख, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई पुरुषों के लिए: 165 सेंटीमीटर; और महिलाओं के लिए: 155 सेंटीमीटर होगी ।

छाती: डोगरा, गोरखा, गढ़वाली, कुमाउनी, मराठा अभ्यर्थियों और असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा तथा लद्दाख, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र से संबंधित पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम छाती 80 सेंटीमीटर (न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फैलाव) होगी ।

(आ) अन्य राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए-

(I) ऊंचाई:

पुरुषों के लिए: 170 सेंटीमीटर; और महिलाओं के लिए: 157 सेंटीमीटर

(II) छाती :

पुरुषों के लिए: बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर; फुला कर : न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फैलाव; और महिलाओं के लिए लागू नहीं होता।

(III) वजन :

पुरुषों और महिलाओं के लिए: चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊंचाई और आयु के आनुपातिक ।

(ii) चिकित्सीय मानक :

(क) दृष्टि : दोनों आंखों की दृष्टि बिना सुधार अर्थात् बिना चश्मा पहने 6/6 और 6/9 होगी ।

(ख) अभ्यर्थियों को संहत जानु, चपटा पांव, फूली हुई नसें या भैंगी आंखों वाला नहीं होना चाहिए और उच्च रंग दृश्यता वाला होना चाहिए। उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का और ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए, जिसमें उनके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा आने की संभावना हो ।

(ग) शारीरिक दक्षता परीक्षण और लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी अर्हित होगा ।

टिप्पण 1.— अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, लिखित रूप में कारणों को दर्ज करके, शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2.— अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, लिखित रूप में कारणों को दर्ज करके, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।"।

[फा. सं. I.12022/15/2021-संगठन]

पी. एस. डंगवाल, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 1019(अ) तारीख 28 दिसंबर, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2025

G.S.R. 538(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), and the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indo-Tibetan Border Police Force, Telecommunication Cadre (Group 'B' and 'C' posts) Recruitment Rules, 2010, namely:-

1.(1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Telecommunication Cadre (Group 'B' and 'C' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indo-Tibetan Border Police Force, Telecommunication Cadre (Group 'B' and 'C' posts) Recruitment Rules, 2010, -

(a) for rule 3, the following rule shall be substituted, namely: -

"3. Number of posts, classification and level in pay matrix.- The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.";

(b) after rule 6, the following rule shall be substituted, namely: -

"7. Superannuation.- (1) The personnel appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he or she attains the age of sixty years or as per prescribed by the Central Government from time to time:

Provided that a person whose date of birth is on the first day of a month, shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the prescribed age of retirement on superannuation as specified in sub-rule (1).".

3. In the Schedule, -

(a) against serial number 1, relating to the post of Inspector (Telecommunication), -

(i) in column (2), for the entries, the following entries shall be substituted, namely: -

"335* (2025)

*Subject to variation dependent on workload.";

(ii) in column (4), for the column, heading and the entries relating thereto, the following column, heading and entries shall be substituted, namely: -

"Level in pay matrix.
(4)
Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).";

(iii) in column (11), for the entries, the following entries shall be substituted, namely: -

"By promotion.";

(iv) in column (12), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"From amongst Sub-Inspector (Telecommunication) of the Indo-Tibetan Border Police Force in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) with five years regular service in the grade and who have successfully completed training pre-promotional course or courses as prescribed by the Central Government from time to time.

Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.";

(b) against serial number 2, relating to the post of Sub-Inspector (Telecommunication), -

(i) in column (2), for the entries, the following entries shall be substituted, namely: -

"818* (2025)

*Subject to variation dependent on workload.";

(ii) in column (4), for the column, heading and the entries relating thereto, the following column, heading and entries shall be substituted, namely: -

"Level in pay matrix.
(4)
Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).";

(iii) in column (8), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Educational qualifications:

(a) B.E. or B. Tech in Information Technology or Electronics and Communication or Instrumentation or Computer Science from a recognised university or institution;

(b) Physical and medical standards:

(i) Physical standard:

(A) Minimum height for all candidates belonging to the Scheduled Tribes-

(I) Height:

For males: 162.5 centimeters; and for female: 150 centimeters;

(II) Chest:

For males: Unexpanded 77 centimeters; Expanded: Minimum expansion five centimeters; and for females: Not applicable;

(III) Weight:

For males and females: Proportionate to height and age as per medical standards.

Note: The relaxable shall be permissible in height and chest to the candidates as follows: -

Height: Minimum height for candidates falling in the categories of Dogras, Gorakhas, Garhwalis, Kumaonis, Marathas, and candidates belonging to the States of Assam, Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and the Union territories of Ladakh, Jammu and Kashmir will be 165 centimeters for males and 155 centimeters for females.

Chest: Minimum chest for candidates falling in the categories of Dogras, Gorakhas, Garhwalis, Kumaonis, Marathas, and candidates belonging to the States of Assam, Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and the Union territories of Ladakh, Jammu and Kashmir will be eighty centimeters (minimum five centimeters expansion) for males.

(B) For other States and Union territories-

(I) Height:

For males: 170 centimeters; and for female: 157 centimeters;

(II) Chest:

For males: Unexpanded: Eighty centimeters; Expanded: Minimum five centimeters; and for females: Not applicable;

(III)Weight:

For males and females: Proportionate to height and age as per medical standards.

(ii) Medical standards:

(A) Eye sight: The minimum distant vision shall be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction i.e. without wearing of glasses.

(B) The candidates shall not suffer from knock knees, flat foot, varicose vein or squint in the eyes and they shall possess high colour vision. They shall be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.

(c) The candidates shall qualify the physical efficiency test and written test.

Note 1.- Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2.- The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.";

(iv) in column (11), for the entries, the following entries shall be substituted, namely: -

"(i) Fifty per cent. by direct recruitment; and

(ii) Fifty per cent. by promotion.";

(v) in column (12), for the entries, the following entries shall be substituted, namely: -

"From amongst Assistant Sub-Inspector (Telecommunication) of the Indo-Tibetan Border Police Force in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-923000) with six years regular service in the grade and who have successfully completed training in the following relevant area, as prescribed pre- promotional course or courses by the Department.

Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.";

(vi) in column (13), for the entries, the following entries shall be substituted, namely: -

"Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: -

1. Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman;

2. Commandant or Second in Command, Indo-Tibetan Border Police Force - Member,

3. Deputy Commandant (Telecommunication) or Assistant Commandant (Telecommunication), Indo-Tibetan Border Police Force - Member.

Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: -

1. Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman;

2. Commandant or Second in Command, Indo-Tibetan Border Police Force - Member;

3. Deputy Commandant (Telecommunication) or Assistant Commandant (Telecommunication), Indo-Tibetan Border Police Force - Member.";

(c) against serial number 3, relating to the post of Assistant Sub-Inspector (Telecommunication),-

(i) in column (2), for the entries, the following entries shall be substituted, namely: -

"1153* (2025)

*Subject to variation dependent on workload.";

(ii) in column (4), for the column, heading and the entries relating thereto, the following column, heading and entries shall be substituted, namely: -

"Level in pay matrix.
(4)
Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300).";

(iii) in column (5), for the entries, the following entries shall be substituted, namely: -

"Non-selection.";

(iv) in column (12), for the entries, the following entries shall be substituted, namely: -

"From amongst Head Constable (Telecommunication) of the Indo-Tibetan Border Police Force in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) five years regular service in the grade and who have successfully completed training in the following relevant area, as prescribed pre-promotional course or courses by the Department.

Note - Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.";

(d) against serial number 4, relating to the post of Head Constable (Telecommunication),-

(i) in column (2), for the entries, the following entries shall be substituted, namely: -

"2438* (2025)

*Subject to variation dependent on workload.";

(ii) in column (4), for the column, heading and the entries relating thereto, the following column, heading and entries shall be substituted, namely: -

"Level in pay matrix.
(4)
Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).";

(iii) in column (5), for the entries, the following entries shall be substituted; namely: -

"Non-selection.";

(iv) in column (8), for the entries, the following entries shall be substituted, namely: -

"Educational qualifications:

(a) (i) 10th class pass from a recognised Board;

(ii) Three years diploma in Information Technology or Electronics or Communication or Instrumentation or Computer Science from a recognised All India Council for Technical Education; or

(iii) Bachelor of Computer Applications from a recognised university or recognised institute; or

(iv) B.E. or B. Tech in Information Technology or Electronics and Communication or Instrumentation or Computer science from a recognised university or recognised institute;

(b) Physical and medical standards:

(i) Physical standard:

(A) Minimum height for all candidates belonging to the Scheduled Tribes-

(I) Height:

For males: 162.5 centimeters; and for female: 150 centimeters;

(II) Chest:

For males: Unexpanded 77 centimeters; Expanded: Minimum expansion five centimeters; and for females: Not applicable;

(III)Weight:

For males and females: Proportionate to height and age as per medical standards.

Note: The relaxable shall be permissible in height and chest to the candidates as follows: - Height: Minimum height for candidates falling in the categories of Dogras, Gorakhas, Garhwalis, Kumaonis, Marathas, and candidates belonging to the States of Assam, Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and the Union territories of Ladakh, Jammu and Kashmir will be 165 centimeters for males and 155 centimeters for females.

Chest: Minimum chest for candidates falling in the categories of Dogras, Gorakhas, Garhwalis, Kumaonis, Marathas, and candidates belonging to the States of Assam, Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and the Union territories of Ladakh, Jammu and Kashmir will be eighty centimeters (minimum five centimeters expansion) for males.

(B) For other States and Union territories-

(I) Height:

For males: 170 centimeters; and for female: 157 centimeters;

(II) Chest:

For males: Unexpanded: Eighty centimeters; Expanded: Minimum five centimeters;

and for females: Not applicable;

(III) Weight:

For males and females: Proportionate to height and age as per medical standards.

(ii) Medical standards:

(A) Eye sight: The minimum distant vision shall be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction

i.e. without wearing of glasses.

(B) The candidates shall not suffer from knock knees, flat foot, varicose vein or squint in the eyes and they shall possess high colour vision. They shall be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.

(c) The candidates shall qualify the physical efficiency test and written test.

(d) Profession qualifications: The candidates shall qualify the following professional course during the probation period subject to extension of probation period by one year, -

(i) Basic Training for Non-General Duty personnel;

(ii) Radio Operator Grade III.

Note 1.- Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2.- The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.";

(v) in column (12), for the entries, the following entries shall be substituted; namely: -

"From amongst Constable (Telecommunication) of the Indo-Tibetan Border Police Force in level- 3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100) with five years regular service in the grade and who have successfully completed training in the following relevant area, as prescribed pre-promotional course or courses by the Department.

Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.";

(vi) in column (13), for the entries, the following entries shall be substituted, namely: -

"Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: -

1. Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman;

2. Second in Command or Deputy Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member;

3. Assistant Commandant (Telecommunication), Indo-Tibetan Border Police Force - Member.

Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: -

1. Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force Chairman;

2. Second in Command or Deputy Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member;

3. Assistant Commandant (Telecommunication), Indo-Tibetan Border Police Force - Member.";

(e) against serial number 7, relating to the post of Constable (Telecommunication).-

(i) in column (1), for the entries, the following entries shall be substituted, namely: -

"5. Constable (Telecommunication).";

(ii) in column (2), for the entries, the following entries shall be substituted, namely: -

"440* (2025)

*Subject to variation dependent on workload.";

(iii) in column (4), for the column, heading and the entries relating thereto, the following column, heading and entries shall be substituted, namely: -

"Level in pay matrix.
(4)
Level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100).";

(iv) in column (8), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Educational qualifications:

(a) (i) 10th class pass from a recognised Board;

(ii) Three years diploma in Information Technology or Electronics or Communication or Instrumentation or Computer Science from a recognised All India Council for Technical Education; or

(iii) Bachelor of Computer Applications from a recognised university or recognised institute; or

(iv) B.E. or B. Tech in Information Technology or Electronics and Communication or Instrumentation or Computer science from a recognised university or recognised institute;

(b) Physical and medical standards:

(i) Physical standard:

(A) Minimum height for all candidates belonging to the Scheduled Tribes-

(I) Height:

For males: 162.5 centimeters; and for female: 150 centimeters;

(II) Chest:

For males: Unexpanded 77 centimeters; Expanded: Minimum expansion five centimeters; and for females: Not applicable;

(III) Weight:

For males and females: Proportionate to height and age as per medical standards.

Note: The relaxable shall be permissible in height and chest to the candidates as follows: -

Height: Minimum height for candidates falling in the categories of Dogras, Gorakhas, Garhwalis, Kumaonis, Marathas, and candidates belonging to the States of Assam, Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and the Union territories of Ladakh, Jammu and Kashmir will be 165 centimeters for males and 155 centimeters for females.

Chest: Minimum chest for candidates falling in the categories of Dogras, Gorakhas, Garhwalis, Kumaonis, Marathas, and candidates belonging to the States of Assam, Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and the Union territories of Ladakh, Jammu and Kashmir will be eighty centimeters (minimum five centimeters expansion) for males.

(B) For other States and Union territories-

(I) Height:

For males: 170 centimeters; and for female: 157 centimeters;

(II) Chest:

For males: Unexpanded: Eighty centimeters; Expanded: Minimum five centimeters;

and for females: Not applicable;

(III) Weight:

For males and females: Proportionate to height and age as per medical standards.

(ii) Medical standards:

(A) Eye sight: The minimum distant vision shall be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction i.e. without wearing of glasses.

(B) The candidates shall not suffer from knock knees, flat foot, varicose vein or squint in the eyes and they shall possess high colour vision. They shall be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.

(c) The candidates shall qualify the physical efficiency test and written test.

Note 1.- Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2. The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.".

[F. No. I-12022/15/2021-Org]

P. S. DANGWAL, Director

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1019(E), dated the 28th December, 2010.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2021.08.07 22:40:18 +05'30'